भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2274

(दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अश्लील सामग्री

2274. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारत में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अशिष्ट, अश्लील और भ्रामक विषय-वस्तु के बढ़ते प्रसार की जानकारी है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी विषय-वस्तु, विशेषकर जो युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है तथा अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है, को विनियमित करने तथा निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कड़ी 'कंटेंट मॉडरेशन नीतियां' और 'आयु संबंधी प्रतिबंध' तंत्र लागू करने का निदेश दिया है;

(घ) अनुचित या हानिकारक विषय-वस्तु का प्रसार करने के लिए विषय-वस्तु निर्माताओं और प्लेटफॉर्मों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और की गई कानूनी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ऐसी विषय-वस्तु के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नए विनियम या संशोधन लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") अधिसूचित किए हैं।

मध्यवर्ती प्लेटफॉर्मों पर उपयोगकर्ता द्वारा सृजित सामग्री के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा प्रशासित आईटी नियम, 2021 का भाग-II सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर स्वयं उचित प्रयास करने और उनके कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी को होस्ट, स्टोर, संचारित, प्रदर्शित या प्रसारित नहीं करने का विशिष्ट दायित्व डालता है जिसमें ऐसी जानकारी जो अश्लील, पोर्नोग्राफिक, किसी अन्य की निजता का उल्लंघन, जेंडर के आधार पर अपमानजनक या उत्पीड़न, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, या हिंसा भड़काने के इरादे से धर्म या जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देती हो, या जो बच्चों के लिए हानिकारक या मनी लॉन्ड्रिंग या जुए को बढ़ावा देने, या गलत सूचना, स्पष्ट रूप से गलत जानकारी, असत्य या भ्रामक प्रकृति की, या जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती हो, या जो वर्तमान में लागू किसी कानून का उल्लंघन करती हो।

इसी प्रकार, डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों की सामग्री के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित आईटी नियम, 2021 के भाग-III में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) में उपयुक्त सरकार द्वारा गैर-कानूनी कृत्य या सामग्री के बारे में मध्यस्थों को ऐसी सामग्री को हटाने/पहुंच को अक्षम करने के लिए अधिसूचना प्रदान की गई है। इन प्रावधानों के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मार्च 2024 में कार्रवाई की और अश्लील तथा अशिष्ट सामग्री प्रकाशित करने के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया।

वर्तमान में लागू किसी कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रसारण के लिए ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर के आधार पर उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी कार्रवाई की जाती है।

*****